न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 31/2019
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 08/05/2019
निर्णय दिनांक : 30/10/2019

पप्पू सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनाडिया, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्रीमती मन्जूलता शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 30/10/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के आराजी खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 1442, 1443, 1444, 1445 कुल किता 04 कुल रकबा 6.2000 हैक्टेयर, खाता संख्या 85 के आराजी खसरा नम्बर 1006 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 205 के खसरा नम्बर 802, 804 कुल किता 02 कुल रकबा 5.9000 हैक्टेयर, खाता संख्या 285 के खसरा नम्बर 1066 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खाता संख्या 286 के खसरा नम्बर 1140 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खाता संख्या 309 के खसरा नम्बर 837, 878/1503, 994, 999, 1000, 1002, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1023, 1038, 1038/1504, 1065, 1139, 1142, 1143, 1440, 1449, 1450, 1453 1454, 1455, 1456 कुल किता 25 कुल रकबा 16.6100 हैक्टेयर, वाके ग्राम सुनाडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 में स्थित है, जिसका प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार अपने हिस्से का काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पप्पू सिंह है, लेकिन प्रार्थी को घर पर प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

बाल्यावस्था में राजेन्द्र सिंह के नाम से पुकारते थे, इसलिये प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वरवक्त प्रार्थी के पिता का विरासत का नामान्तरकरण खुलते समय नामांतकरण संख्या 261 दिनांक 26/05/1989 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पप्पू सिंह पुत्र शंकर सिंह हैं। इसी आधार पर अभी हाल ही में प्रार्थी का नाबालिग से बालिग का नामान्तरकरण संख्या 767 दिनांक 09/04/2018 को तस्दीक किया गया उसमें भी प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह ही अंकित किया गया है, जो कि गलत हैं। उक्त प्रकार की त्रुटि राजस्व रिकार्ड में होने से सहवन से भूलवश हुयी है, जो काबिले दुरूस्ती हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तोवज यथा आधार कार्ड, टी.सी., स्कूल से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशनकार्ड, पेनकार्ड आदि समस्त में भी प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पप्पू सिंह ही दर्ज है, जिससे भी यह साबित है कि जो नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज हुआ है, वह सहवन से राजस्व कारकुनानों द्वारा दर्ज किया गया है, जो काबिले दुरूस्ती है।अभी हाल ही में दिनांक 26/03/2019 को प्रार्थी ने किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया, तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी, इसलिये प्रार्थी को उक्त वाद–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज आराजीयात में प्रविष्टि राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर पप्पू सिंह पुत्र शंकरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी।

दिनांक 21/10/2018 को तनकीयात कायम की गयी। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची किता 3 पेश की जो शामिल रहे। वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 पप्पू सिंह, पी.डब्लयू 2 लक्ष्मण सिंह व पी.डब्ल्यू 3 जोर सिंह उर्फ जोरावर सिंह के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये जाकर बयान लिये गये। अप्रार्थी की ओर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रार्थी ओर साक्ष्य पेश न कर बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2078, नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 26/05/1989, पप्पू सिंह के आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशनकार्ड, आयकर विभाग, विद्यालय प्रमाण–पत्र सुनाडिया, फर्द मौका रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 84, 85, 205, 285, 309 की आराजी में अन्य खातेदार के साथ "राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह" दर्ज हैं जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह के स्थान पर पप्पू सिंह पुत्र शंकर सिंह दर्ज करवाना चाहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशनकार्ड, पेनकार्ड, टी.सी., प्रमाण–पत्र आदि में प्रार्थी का नाम पप्पू सिंह पुत्र शंकर सिंह दर्ज है एवं नामान्तरकरण संख्या 261 में भी अन्य भाईयों के साथ प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज है, फर्द मौका रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह एवं पप्पू सिंह पुत्र शंकर सिंह दोनों है तथा प्रार्थी को बाल्यावस्था में राजेन्द्रसिंह के नाम से पुकारने के कारण वरवक्त पिता की विरासत प्रार्थी का नाम पप्पू सिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया गया है, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि प्रार्थी को घर पर बाल्यावस्था में राजेन्द्र सिंह के नाम से पुकारने के कारण वरवक्त विरासत प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पप्पू सिंह हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की ताईद होती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 1442, 1443, 1444, 1445 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खाता संख्या 85 के आराजी खसरा नम्बर 1006 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 205 के खसरा नम्बर 802, 804 कुल किता 02

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 5.9000 हैक्टेयर, खाता संख्या 285 के खसरा नम्बर 1066 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खाता संख्या 286 के खसरा नम्बर 1140 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खाता संख्या 309 के खसरा नम्बर 837, 878/1503, 994, 999, 1000, 1002, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1023, 1038, 1038/1504, 1065, 1139, 1142, 1143, 1440, 1449, 1450, 1453 1454, 1455, 1456 कुल किता 25 कुल रकबा 16.6100 हैक्टेयर वाके ग्राम सुनाडिया, तहसील दूदू में दर्ज प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर पप्पू सिंह पुत्र शंकर सिंह दर्ज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू को निर्णय की पालनार्थ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (दूदू)